जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 06.09.2023

आज दिनांक 06.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी के 07 अदद गैस सिलेंडर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरिक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रविन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 905/2023 धारा 380 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त दिवाकर पुत्र कैलाश निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को विधियानी के पास से 07 अदद चोरी के गैस सिलेंडर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

दिवाकर पुत्र कैलाश निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

07 अदद भरा हुआ गैस सिलेंडर।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 905/2023 धारा 380 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि।

विवरण-

आज दिनांक 06.09.2023 को वादी श्री जगदम्बा प्रसाद निवासी बंजरिया पूर्वी थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 14.08.2023 को उसके मकान के बरामदे से व मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों के गैंस सिलेंडर भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया है। घटना के संबंध में थाना को0 खलीलाबाद पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त को चोरी के 07 अदद गैस सिलेंडर के साथ गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तारी टीम-

चौकी प्रभारी गोला उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्र, हे0कां0 पंकज यादव, हे0कां0 बृजेश यादव, कां0 वीर बहादुर यादव, कां0 उदय प्रताप सिंह।

थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्रीमती दीपांशी राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक को0 खलीलाबाद ***श्री रविन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 900/2023 धारा 376 भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता जाने आलम पुत्र सज्जाद अली निवासी रौरापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी के नाबालिग पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 05.09.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना को0

खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 06.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री बृजेश यादव, उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा ***श्री संतोष कुमार मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 533/2023 धारा 376 / 504 / 506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता पंकज यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी खैरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना व जानमाल आदि की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 12.08.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 06.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना धनघटा श्री जुबेर अली, कां0 आनन्द पटेल।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 1486 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत जातेडीहा रोड से इवेन्ट संख्या 10297 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (1-अशोक गिरी पुत्र गुड्डू, 2- अनुराग सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी सिहारे बन्नी थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ – आ0 अजीतुल्ला खाँ, आ0 गौतम कुमार, हो0चा0 बृजेश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 64 वाहनों से 48,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 06.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 64 वाहनों से 48,000 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।